

प्रेस नोट:दिनांक 20.03.2023 यातायात पुलिस जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 20.03.2023 को अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व गर्वित सिंह क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा जोगिया कस्बा ,सनई चौराहा ,साड़ी तिराहा आदि स्थानों पर अवैध रूप से खडे वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चस्पा किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 38 वाहनों से 36500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट- थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 20.03.2023

अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना बांसी का किया गया वार्षिक निरीक्षण।

आज दिनांक 20.03.2023 को सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना बांसी का वर्ष 2022 का वार्षिक निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण के क्रम में थाने, मेस व बैरकों की साफ सफाई तथा महिला हेल्प डेस्क व थाने के अभिलेखों की स्थिति को देखा गया। थाने पर उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारी का दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ दंगा रिहर्सल कराया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही थाने के विवेचकगण से लंबित विवेचनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर समयबद्ध निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान थाने के सक्रिय अपराधियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई तथा ऑपरेशन शिकंजा व आपरेशन क्लीन के तहत थाने द्वारा की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई तथा थाना स्थानीय के ग्राम प्रहरीगण के साथ गोष्ठी कर उनके कर्तव्यों से अवगत कराते हुए हर छोटी व बड़ी सूचना को अपने बी0पी0ओ0 व हल्का प्रभारी को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 20-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण के आरोपी को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 8,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20-03-2023 को सत्र परीक्षण सं. 50/2015 मु.अ.सं. 755/2015 धारा 363,366ए भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो थाना डुमरियागंज से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित पुत्र सब्बू निवासी ग्राम लोहरौली, थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित उपरोक्त को माननीय न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार सिंह-2, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सिद्धार्थनगर द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 8,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी पवन कुमार कर पाठक, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अशोक कुमार कन्नौजिया, थाना डुमरियागंज का सराहनीय योगदान रहा ।